चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++

Email.:-registrar@ccsuniversity.ac.in website:- www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : सम्बद्धता/219 2025–26 दिनांक: 15-4-2026

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारणी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1/1296968/2026/70–2099/28/2025 पार्ट–02 दिनांक: 13.04.2026 का सदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिये शासनादेश संख्या–1/1227344/2026/70–2099/28/2025 पार्ट–02 दिनांक: 04.02.2026 के द्वारा निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

क्र. स.	कार्यवाही	समय–सीमा
1.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 19 अप्रैल, 2026 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 17 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 19 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठण कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 25 अप्रैल, 2026 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 05 मई, 2026 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2026 तक।

नोट:– शासनादेश दिनांक 10.04.2026 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय

15/4/26

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
2. व्यैक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त राजकीय महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)